एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 04 (जुलाई-अगस्त, 2022)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

कृषि यंत्रों पर सरकारी अनुदान

(*पुष्कर देव[1], सतीश सुमन[2] एवं कमलेश कुमार यादव[3])
[1]स्नातकोत्तर, सस्य विज्ञान, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर
[2]स्नातकोत्तर, सस्य विज्ञान, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर
[3]स्नातकोत्तर, उद्यान विज्ञान, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार
* संवादी लेखक का ईमेल पता: pushkardevgurjar@gmail.com

उद्देश्य:- उन्नत कृषि यंत्रो के उपयोग से समय व श्रम की बचत

अनुदान :- योजनावार एवं यंत्रों की श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण

क्र. सं.	मुख्य कृषि यंत्र (ट्रेक्टर /पावर ऑपरेटेड यंत्र)	हॉर्सपावर रेंज	SC/ST/लघु /सीमान्त व महिला कृषको को मूल्य का अधिकतम 50 प्रतिशत	अन्य श्रेणी के कृषको को मूल्य का अधिकतम 40 प्रतिशत
1.	सीड ड्रिल सीड कम फ़र्टिलाइज़र ड्रिल	20 बी.एच.पी. से कम	15000 रू.	12000 रू.
		20-35 बी.एच.पी तक	18000 रू.	16000 रू.
		35 बी.एच.पी से अधिक	21300-28000 रू.	17000-22400 रू.
2.	डिस्क प्लाऊ /डिस्क हैरो	20 बी.एच.पी. से कम	20000 रू.	16000 रू.
		20-35 बी.एच.पी तक	30000 रू.	250000 रू.
		35 बी.एच.पी से अधिक	50000 रू.	40000 रू.
3.	मल्टी क्रॉप थ्रेशर	20 बी.एच.पी. से कम	30000 रू.	25000 रू.
		20-35 बी.एच.पी तक	40000 रू.	30000 रू.
		35 बी.एच.पी से अधिक	100000 रू.	80000 रू.
4.	रोटोवेटर	20-35 बी.एच.पी तक	35000 रू.	28000 रू.
		35 बी.एच.पी से अधिक	42000-50400 रू.	34000-40300 रू.
5.	ट्रेक्टर ऑपरेटेड रिपर	20 बी.एच.पी. से कम	30000 रू.	24000 रू.
		20-35 बी.एच.पी तक	40000 रू.	32000 रू.
		35 बी.एच.पी से अधिक	75000 रू.	60000 रू.
6.	रिज फेरो प्लांटर	20 बी.एच.पी. से कम	30000 रू.	24000 रू.
		20-35 बी.एच.पी तक	40000 रू.	32000 रू.
		35 बी.एच.पी से अधिक	75000 रू.	60000 रू.

7.	मल्टी क्रॉप प्लांटर	20 बी.एच.पी. से कम	30000 रू.	24000 रू.
		20-35 बी.एच.पी तक	40000 रू.	32000 रू.
		35 बी.एच.पी से अधिक	75000 रू.	60000 रू.
8.	चिजल प्लाऊ	20 बी.एच.पी से कम	10000 रू.	8000 रू.
		20-35 बी.एच.पी तक	20000 रू.	16000 रू.

पात्रता

- आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि हो / अविभाजित परिवार की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
- ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये
- एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रो पर अनुदान दिया जा सकेगा।

आपूर्ति स्त्रोत

अधिकृत/पंजीकृत क्रय विक्रय सहकारी समिति ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिलें में पंजीकृत निर्माता /विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। कृषि यंत्रों का क्रय कृषि कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त ही करें। स्वीकृति की जानकारी मोबाइल संदेश व अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक के जरिये मिल सकेगी।

आवेदन प्रक्रिया

- कृषक स्वयं या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर राज किसान पोर्टल पर आवेदन करा सकेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन-लाईन जमा किये जानें की प्राप्ति रसीद ऑनलाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदन के समय दस्तावेज जन आधार कार्डए जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)
- ट्रैक्टरचालित यंत्र हेतु ट्रैक्टर पंजीयन प्रमाण पत्र या शामलाती के मामले में शपथ पत्र।

अनुदान का भुगतान

- कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा यंत्र का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।
- सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।
- अनुदान का भुगतान कृषक के बैंक खाते में ऑनलाईन ही होगा।